फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री महावीर जैन विद्यालय
संस्थान संचालक श्री हिम्मतलाल वया
बनाम
विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार भीण्डर

स्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम
पत्रावली संख्या : 10/24

कार्यवाही विवरण

ांक	
	दिनांक 26.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की साविक आराजी न. 554/4 रकबा 1 बीघा प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त साविक आराजी न. के नवीन सेटलमेंट बाद नये आराजी न. 3610/1011 रकबा 0.2200 हे. आवासीय भूमि के रूप में दर्ज हुये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी के नक्शे में तरमीम किया गया हैं जो पुराने नक्शे में स्थित प्रार्थी की आराजी के कुछ पिछे तरमीम कर दिया गया है जबकि प्रार्थी पुराने नक्शे अनुसार ही काबिज है। अतः नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को संशोधित कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम साविक नक्शे अनुसार व मौके की स्थिति अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की साविक आराजी न. 554/4 जिसके नवीन आराजी न. 3610/1011 किता 1 रकबा 0.2200 हे. प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया की प्रार्थी का कब्जा वर्तमान बिलानाम आराजी न. 3551/1011 रकबा 0.1600 हे. (सम्पूर्ण), बिलानाम आराजी न. 3597/1011 रकबा 0.2000 हे. में से 0.0100 हे., आराजी न. 3610/1011 रकबा 0.2200 हे. में से 0.0400 हे., आराजी न. 1011 रकबा 1.6900 हे. में से 0.0100 हे. कुल किता 4 रकबा 0.2200 हे. पर होना बताया साथ ही मौके पर वर्तमान में पुख्ता कोट होना बताया एवं पुख्ता कोट संपरिवर्तन के आदेश के समय से होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि आराजी न. 3551/1011 का रकबा 0.2000 हे. व आराजी न. 3597/1011 का रकबा 0.1600 हे. दर्ज रेकर्ड हैं परन्तु उक्त आराजी की नपती करने पर पाया की नवीन आराजी न. 3551/1011 का रकबा 0.1600 हे. व आराजी न. 3597/1011 का रकबा 0.2000 हैक्टयर हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर आराजी न 3551/1011 रकबा 0.1600 हे., आराजी न. 3597/1011 रकबा 0.2000 हे. में से 0.0100 हे., आराजी न. 3610/1011 रकबा 0.2200 हे. में से 0.0400 हे. व आराजी 1011 रकबा 1.6900 हे. में से 0.0100 हे. कुल किता 4 रकबा 0.2200 हे. पर प्रार्थी की पुख्ता कोट होना बताया साथ ही आराजी न. 1011 के खातेदार माधू, लालू उर्फ लाला पुत्र धनराज जाति भील सा. देह का आराजी 3610/1011 के आंशिक भाग पर कब्जा बताया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम साविक रेकर्ड व मौके अनुसार नही किया गया हैं जिसे तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया हैं। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वींकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधि… स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगाव तहसील भीण्… जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1 की आराजी न. 3551 / 1011 र… 2000 के बजाय 0.1600 है. व आराजी न. 3597 / 1011 रकबा 0.1600 के बजाय … है. दर्ज किये जाने व आराजी न. 3551 / 1011 रकबा 0.1600(सम्पूर्ण). 3597 / … रकबा 0.2000 है. में से 0.0100 है. बिलानाम सरकार के बजाय प्रार्थी के नाम दर्ज … जाने व आराजी न. 1011 रकबा 1.4700 है. में से 0.0100 है. खातेदार माधु पुत्र … लालु उर्फ लाला पुत्र धनराज के बजाय प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश … जाते है। आराजी न. 3610 / 1011 रकबा 0.2200 में से 0.1700 है. भूमि प्रार्थी … बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने व उक्त आराजी न. 3610 / 1011 में से 0.0100 … प्रार्थी के बजाय खातेदार(खाता संख्या नया 384 में अंकित) माधु पुत्र धनराज जाति … लालु उर्फ लाला पुत्र धनराज जाति भील के नाम हिस्से बराबर से दर्ज किये … प्रस्तावित नक्शा ट्रेस (संलग्न) अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते … आराजी न. 3610 / 1011 का शेष रकबा 0.0400 है. प्रार्थी के नाम बदस्तूर रहे। … हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम…

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।